

टिन प्लेट डीलर्स एसोसिएशन पी. वी. टी. लिमिटेड & अन्य

बनाम

सतीश चंद्र संवलका और अन्य

(सिविल अपील सं. 589/2010)

07 अक्टूबर, 2016

[रंजन गोगोई और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956: धारा 397, 398, 53-कंपनी याचिका की स्थिरता-
कंपनी याचिका प्रत्यर्थियों संख्या 1-7 (सांवलका समूह) द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ
दायर की गई थी (गुप्ता समूह)-सी. एल. बी. ने याचिका को बनाए रखने योग्य माना-
अपीलकर्ताओं के हाथों में उसी की जब्ती के बाद उत्तरदाताओं को शेयर आवंटित किए
गए थे-अपीलकर्ताओं की याचिका कि अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं की ओर से
लाभार्थी धारकों के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा शेयर रखे गए थे, जब्त किए गए शेयरों
के अवैतनिक मूल्य का भुगतान करने के लिए नोटिस का पालन करने में विफल रहे-
आयोजित: शेयर प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि आवंटन ताजा और स्वतंत्र था-
प्रमाणपत्रों में कोई शर्त या शर्त नहीं होती है कि वे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या
किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लाभार्थी के रूप में रखे जा रहे हैं-अपीलकर्ताओं द्वारा
जब्त किए गए शेयरों के साथ किसी भी संबंध के बिना उत्तरदाताओं द्वारा अपने
अधिकार में शेयर रखे गए थे-इसके अलावा, धारा 53 के संदर्भ में कॉल नोटिस का
अनुपालन अपीलकर्ताओं द्वारा साबित नहीं किया गया था और कंपनी के संघ के
अनुच्छेदों के खंडों के साथ इसकी अनुरूपता-इसलिए, कंपनी याचिका बनाए रखने योग्य
है।

धारा 397,398-दमन और कुप्रबंधन प्रत्यर्थी सांवलका समूह ने अपीलकर्ता-गुप्ता समूह द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कंपनी याचिका दायर की और प्रत्यर्थी-सांवलका समूह के दो सदस्यों को निदेशक मंडल से हटाने और उनके स्थान पर अपीलकर्ता-गुप्ता समूह के दो अन्य लोगों को शामिल करने के कार्य पर सवाल उठाया-आयोजित: प्रत्येक मामले के तथ्यों में इस बात का संतोष होना चाहिए कि उत्पीड़न किया गया है-वर्तमान मामले के तथ्य अपीलकर्ता-गुप्ता समूह की ओर से अस्वीकार्य निर्णयों और कार्यों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं।

धारा 205 (3)-बोनस शेयर जारी करना-धारित: धारा 205 (3) का प्रावधान किसी कंपनी के पुनर्मूल्यांकन भंडार से बोनस शेयर जारी करने की अनुमति देता है-साथ ही, कंपनी के संघ के अनुच्छेद ऐसी कार्रवाई की अनुमति देते हैं और उस पर विचार करते हैं-वर्तमान मामले में, संघ के अनुच्छेद निदेशकों को पुनर्मूल्यांकन भंडार से बोनस शेयर जारी करने का अधिकार नहीं देते हैं-जब कंपनी के अनुच्छेद बोर्ड में ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग इस आधार पर करें कि अधिनियम इस प्रकार प्रदान करता है-अधिनियम के तहत प्रावधानों को सक्षम करने के लिए कंपनी के अनुच्छेदों में शामिल करने की आवश्यकता होगी।

कंपनी कानून:

साधारण इक्विटी शेयरों का निर्गम-आयोजित: निदेशक मंडल की नए शेयर जारी करने की शक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इसकी व्यापक शक्तियों का एक संयोजन है-ऐसे शेयरों का निष्पक्ष और आनुपातिक वितरण/आवंटन करने में निदेशक मंडल से मौलिक निष्पक्ष भूमिका की उम्मीद की जाती है-सामान्य इक्विटी शेयरों का निर्गम कंपनी के सदस्यों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में होना चाहिए-कंपनी अधिनियम, 1956-धारा 172 (2) धारा 41 के साथ पठित।

वरीयता शेयरों के बदले में साधारण इक्विटी शेयरों का निर्गम-वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण-आयोजित: वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण से संबंधित बोर्ड का संकल्प इस आधार पर आगे बढ़ा कि लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है और शेयरधारक समतुल्य इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं, अविश्वसनीय है-वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण को समाप्त करना और वरीयता शेयरों को पहले की स्थिति में वापस लाना न्यायसंगत और उचित है-कंपनी अधिनियम, 1956-धारा 87 (2) (ए)।

सिविल अपील संख्या 589/2010 को खारिज करते हुए और 2010 की सिविल अपील No.599 को निर्देशों के साथ निपटाते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. शेयर प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि उनमें निर्दिष्ट उनकी विशिष्ट संख्या के संदर्भ में शेयरों का एक नया और स्वतंत्र आवंटन होता है। प्रमाणपत्रों में कोई शर्त या शर्त नहीं है कि वे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लाभार्थियों के रूप में रखे जा रहे हैं। विचाराधीन शेयरों को Rs.35 आवेदन राशि (Rs.25) और आवंटन राशि (Rs.10) के भुगतान पर आवंटित किया गया था। पहली कॉल के बदले प्रति शेयर Rs.10 की एक और राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, शेयर प्रमाण पत्र, प्रत्यक्ष रूप से, अपीलकर्ता-गुप्ता समूह की ओर से दिए गए किसी भी तर्क का समर्थन नहीं करते हैं। यदि शेयर उत्तरदाताओं के सदस्यों के पास थे-सान्वाल्का समूह अपने स्वयं के अधिकार में बिना किसी संबंध के पूर्ववर्ती/जब्त किए गए शेयरों के साथ। गुप्ता ब्रदर्स, दूसरा प्रश्न जो उत्पन्न होता है अर्थात् कॉल नोटिस का जवाब देने में विफलता वास्तव में उत्पन्न नहीं होती है। जो भी हो, उक्त सूचना में सांवलका समूह के सदस्यों से जब्त किए गए शेयरों के अवैतनिक मूल्य (जो संयोग से Rs.55 भी था-प्रति शेयर यानी मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स द्वारा जब्त किए जाने के समय शेयरों की अवैतनिक राशि के बराबर) का ब्याज के साथ भुगतान करने की आवश्यकता

थी। इस संबंध में सी. एल. बी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 53 के संदर्भ में कॉल का नोटिस जारी करना भी गुप्ता समूह द्वारा साबित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त नोटिस का पालन करने में कथित विफलता पर सांवलका समूह द्वारा रखे गए शेयरों का कॉल नोटिस और ज़ब्त करना, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खंड 14 से 18 के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। [पैरा 14] (156-बी-एफ]

1.2 अधिनियम की धारा 53 के तहत आवश्यक मामले में न केवल कॉल नोटिस जारी किया गया था, बल्कि नोटिस में भुगतान न करने के परिणामों यानी ज़बती का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ज़ब्त किए गए शेयरों की अवैतनिक राशि का ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए सांवलका समूह पर दायित्व का निर्धारण स्पष्ट रूप से संघ के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के विपरीत है। इसके अलावा, ज़ब्त करने की तारीख भी स्पष्ट नहीं है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की बैठक में उक्त शेयरों को मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय का कारण दीवानी न्यायालय द्वारा पहले पारित शेयरों की कुर्की के आदेश का पालन करना प्रतीत होता है। ये सभी अब किए गए दावे के स्पष्ट झूठ को प्रदर्शित करेंगे कि ज़ब्त करना सांवलका समूह द्वारा कॉल नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण था। प्राथमिक प्रश्न अर्थात् कंपनी याचिका की रखरखाव क्षमता का उत्तर प्रत्यर्थी-सांवलका समूह के पक्ष में दिया जाना है। [पैरा 15,18] [157-एफ-एच; 158-ए]

2. वर्तमान मामले में, कंपनी के संघ के अनुच्छेद निदेशकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं देते हैं। ऐसी कोई स्थिति यानी पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से बोनस शेयर जारी करने पर विचार नहीं किया गया है। जब कंपनी के अनुच्छेद बोर्ड को इस आधार पर ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करते हैं कि अधिनियम इस प्रकार प्रदान करता है तो

यह अनुज्ञेय नहीं होगा। अधिनियम के तहत प्रावधानों को सक्षम करने के लिए कंपनी के अनुच्छेदों में शामिल करने की आवश्यकता होगी। बोर्ड का संकल्प, जिसके अनुसार बोनस शेयर जारी किए गए थे, इंगित करता है कि बोनस शेयर जारी करने का वास्तविक उद्देश्य धन जुटाना है जिसकी उस समय कंपनी को बहुत आवश्यकता थी। इसके विपरीत, प्रस्ताव में इंगित उद्देश्य एक ढोंग और ढोंग है क्योंकि कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ बोनस शेयर जारी करने से कोई अतिरिक्त धन उत्पन्न नहीं हो सका और न ही हुआ क्योंकि उपलब्ध अतिरिक्त पूंजी विशुद्ध रूप से काल्पनिक या काल्पनिक है। इसलिए बोनस शेयर जारी करने में गुप्ता समूह (जिसने जारी किए गए सभी बोनस शेयर प्राप्त किए) का स्व-सेवारत हित स्पष्ट है। [पैरा 20,21) [159-सी-डी, जी-एच; 160-ए-बी] ।

भगवती डेवलपर्स बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी और अन्य। 2005 (2) पूरक। एससीआर 502; क्लाउड-लीला पारुलेकर (श्रीमती) v. सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड और अन्य। (2005) 11 एस. सी. सी. 73:2005 (2) एस. सी. आर. 1063-पर निर्भर था।

3. जहाँ तक 25,000 इक्विटी शेयरों के निर्गम का संबंध है, कंपनी के निदेशक मंडल की नए शेयर जारी करने की शक्ति को हमेशा अधिनियम के तहत इसकी व्यापक शक्तियों के एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए और इस तरह की कवायद के प्रामाणिक होने पर किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य से सीमित नए शेयर जारी करने की शक्ति का अर्थ लगाकर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड का भी यही दृष्टिकोण था। हालाँकि, यह ऐसे नए शेयरों का उचित और आनुपातिक वितरण/आवंटन करने में निदेशक मंडल से अपेक्षित निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत से अलग नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के उस निर्देश को बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त 25,000 नए जारी किए गए साधारण

इक्विटी शेयरों का आवंटन दोनों समूहों की हिस्सेदारी के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि सांवलका समूह के सदस्य कंपनी के सदस्य बने रहेंगे, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 22) (160-सी-ई]

नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम नीडल इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और अन्य। (1981) 3 एस. सी. सी. 333:1981 (3) एस. सी. आर. 698-पर निर्भर था।

4.1 जहां तक 3065 तरजीही शेयरों के बदले में 3065 साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम का संबंध है, सांवलका समूह की आशंका यह है कि यदि उक्त वरीयता शेयरों के बदले जारी किए गए इक्विटी शेयरों को जीवित और वैध रहने दिया जाता है तो शेष राशि अभी भी गुप्ता समूह के पक्ष में झुक जाएगी। उपरोक्त धारा 87 (2) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उन स्थितियों को छोड़कर जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, वरीयता शेयरों के धारकों को उन मामलों को छोड़कर मतदान करने का अधिकार नहीं है जो वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। [पैरा 23,26) [160F-II; 162F-G]

4.2 कंपनी के संघ के अनुच्छेदों को अनिवार्य रूप से धारा 87 के प्रावधानों के आलोक में समझना होगा, विशेष रूप से वे जो उप-धारा (2) में निहित हैं। कंपनी के अनुच्छेद 20,21 और 22 का अर्थ यह दिया जाना चाहिए कि वरीयता शेयर धारक सहित प्रत्येक शेयर धारक को वोट देने का अधिकार है, जिसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने से संबंधित बोर्ड का संकल्प इस आधार पर होता है कि 3065 शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है और इसके बदले में शेयरधारक समान संख्या में इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए सहमत हुए थे। तथ्य के उपरोक्त कथन को स्वीकार करना मुश्किल है।

न तो वह अवधि निर्दिष्ट की गई है जिसके दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था, न ही देय राशि का संकेत दिया गया है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि 3065 इक्विटी शेयर अवैतनिक होने का दावा किए गए लाभांश के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचाराधीन तरजीही शेयर गुप्ता समूह के पास थे जो उस समय कंपनी के नियंत्रण में थे। गुप्ता समूह द्वारा लिए गए कई स्व-सेवारत निर्णय और कंपनी के हित के लिए हानिकारक तरीके से कंपनी के व्यवसाय का संचालन, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, बोर्ड के प्रस्ताव में उपलब्ध संस्करण पर भरोसा करना बेहद खतरनाक बना देगा। उपरोक्त परिस्थितियों में 3065 वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना और वरीयता शेयरों को कानून के अनुसार भविष्य में निपटाने के लिए अपनी पिछली स्थिति में वापस करना उचित और उचित होगा। [पैरा 28 जे [163-एच; 164-ए-ई]

5. यह प्रश्न कि क्या उत्पीड़न का एक भी कार्य सी. एल. बी. को हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा या उत्पीड़न निरंतर कार्यों का संचयी परिणाम होना चाहिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में किसी भी बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो अपीलार्थी गुप्ता समूह की ओर से अस्वीकार्य निर्णयों और कार्यों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। अंतिम उपाय में, प्रत्येक मामले के तथ्यों में इस बात का संतोष होना चाहिए कि उत्पीड़न किया गया है। [पैरा 32] [165-सी-डी]।

मामला विधि संदर्भ

2005(2) पूरक एससीआर 502	विश्वास किया	पैरा 20
2005(2) एससीआर 1063	विश्वास किया	पैरा 20
1981(3) एससीआर 968	विश्वास किया	पैरा 22

सिविल अपील अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 589/2010

कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2001 के ए. पी. ओ. संख्या 63 में दिनांकित 14.09.2005 निर्णय और आदेश से

के साथ

सी. ए .संख्या 599/2010

अरविंद पी. दातार, सी. ए. सुंदरम, के. राधाकृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता, निखिल नैय्यर, एन. साई, दिव्यांशु राय, रमेश सिंह, एस. पात्रा, अश्वनी चावला, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर लेनायत, अभिषेक गुप्ता (एम के लिए) /एस खेतान एंड कंपनी), प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री निहारिका (मैसर्स के.जे. जॉन एंड कंपनी के लिए), आशा गोपालन नायर, सुश्री साधना संधू, एम.के. मरोरिया, पृथा श्रीकुमार अय्यर, बी. कृष्णा प्रसाद, प्रवीण अग्रवाल, उपस्थित पक्षकारों के वकील।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. कलकत्ता उच्च न्यायालय के 14 सितंबर, 2005 के सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध होने वाली दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. सिविल अपील सं. 589/2010 में अपीलार्थी वर्ष 1948 में निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है। अपीलकर्ता 2 से 5 (इसके बाद गुप्ता समूह के रूप में संदर्भित) उक्त अपील में 1 से 7 उत्तरदाताओं द्वारा शिकायत की गई कार्रवाई और चूक द्वारा कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे, जिसका कारण कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 397/398 के तहत कंपनी याचिका की स्थापना हुई थी। उक्त उत्तरदाताओं को आसानी से "सांवलका समूह" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

3. इसके निगमन के समय, कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपये थी जिसमें 100 रुपये के 4,000 भुनाने योग्य संचयी वरीयता शेयर और 100 रुपये के 6,000 सामान्य शेयर शामिल थे। नए, साधारण और बोनस शेयरों के निर्गम से पहले कंपनी की चुकता पूंजी, जो पक्षों के बीच विवाद की जड़ है, में 3065 पूर्ण रूप से भुगतान किए गए तरजीही शेयरों के अलावा 4132 आंशिक रूप से भुगतान किए गए सामान्य शेयर और 1868 पूर्ण रूप से भुगतान किए गए सामान्य शेयर शामिल थे। एक मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स के पास मूल रूप से 4132 आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर थे। उक्त शेयरों को वर्ष 1966 में किसी समय जब्त कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें सांवलका समूह को जारी कर दिया गया था, जिसने प्रत्येक शेयर के लिए कुल 45 रुपये का भुगतान किया था, जिसमें आवेदन और आवंटन के समय भुगतान शामिल था और बाद में कॉल किए जाने पर प्रति शेयर 10 रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि, गुप्ता समूह के अनुसार, ये शेयर गुप्ता ब्रदर्स की ओर से सांवलका समूह के पास थे, सांवलका समूह द्वारा उक्त तथ्य का खंडन किया जाता है। सांवलका समूह के अनुसार, गुप्ता समूह ने उन्हें बिना किसी सूचना के 5.7.1994 पर आयोजित कंपनी की एक अतिरिक्त साधारण आम बैठक में कंपनी की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया था। उक्त बैठक की कोई सूचना सांवलका गौप को नहीं दी गई थी। कंपनी की शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए E.O.G.M में लिए गए उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए उसी दिन एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड की बैठक में, प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किए गए वरीयता और इक्विटी शेयर के लिए 60 बोनस शेयरों के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उक्त बोनस शेयर नई दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ जारी किए जाने थे, जो उस समय कंपनी की एकमात्र संपत्ति थी। सांवलका समूह के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा इस पर विचार नहीं

किया गया था। किसी भी मामले में, उन्हें कोई बोनस शेयर आवंटित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सांवलका समूह के अनुसार, 5 पर लिए गए निर्णय के अनुसार। 7. 1994 में, अगस्त, 1995 में कंपनी ने वरीयता शेयरों (गुप्ता समूह) के धारकों को 3065 इक्विटी शेयर जारी किए। फरवरी, 1996 में, गुप्ता समूह के सदस्यों को फिर से 25,000 साधारण इक्विटी शेयर जारी किए गए, जिसके बदले 40 रुपये प्रति शेयर का भुगतान किया गया। उक्त मुद्दा जाहिर तौर पर कंपनी के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए था। हालाँकि, यह आवंटन सांवलका समूह के बहिष्कार के लिए था। यह तर्क देते हुए कि उपरोक्त कृत्यों का प्रभाव सांवलका समूह, जो अन्यथा बहुमत में था, को कंपनी में एक नगण्य अल्पसंख्यक तक कम करने का था, कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कंपनी याचिका दायर की गई थी जिसमें सांवलका समूह के दो सदस्यों को निदेशक मंडल (.1.7.1991 से प्रभावी) से हटाने और उनके स्थान पर गुप्ता समूह के दो अन्य लोगों को शामिल करने के कार्य पर भी सवाल उठाया गया था।

4. गुप्ता समूह द्वारा कंपनी की याचिका पर दायर जवाब से यह पता चला कि सांवलका समूह द्वारा आंशिक रूप से भुगतान किए गए 4132 शेयर जब्त कर लिए गए। अतः कंपनी की याचिका में उपरोक्त ज़ब्ती को इस दावे के साथ चुनौती दी गई थी कि उक्त शेयरों को सांवलका समूह के सदस्यों को बहाल किया जाए। कंपनी याचिका के निर्वाह के दौरान, कंपनी और शेयरधारकों के हित के लिए प्रतिकूल होने का दावा करने वाली शर्तों पर औद्योगिक भूखंड को सहयोगी संस्थाओं को पट्टे पर देने में गुप्ता समूह की कार्रवाई को चुनौती देते हुए पूरक आवेदन भी दायर किए गए थे।

5. उक्त याचिका में किए गए कथनों और पूरक आवेदनों के आलोक में कंपनी याचिका में अंतिम राहत के लिए अनुरोध किया गया था:

- (1) कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सांवलका समूह के सदस्यों के नामों को बहाल करना;
- (2) बोनस शेयरों के आवंटन को रद्द करना;
- (3) निर्गम को रद्द करना और गुप्ता समूह को आंशिक रूप से भुगतान किए गए साधारण इक्विटी शेयरों का 25,000 का आवंटन;
- (4) 3065 वरीयता शेयरों के धारकों के लिए 3065 इक्विटी शेयरों को रद्द करना;
- (5) औद्योगिक भूखंड के संबंध में पट्टा समझौते को रद्द करना और
- (6) कंपनी के निदेशकों के रूप में सांवलका समूह के संबंधित सदस्यों के नामों को बहाल करना।

6. गुप्ता समूह द्वारा कंपनी याचिका का विरोध किया गया था क्योंकि यह कानून द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं है। गुप्ता समूह के अनुसार, सांवलका समूह के सदस्यों द्वारा रखे गए शेयरों को जब्त कर लिया गया था और इसके धारक कंपनी के सदस्य नहीं रह गए थे। गुप्ता समूह के अनुसार इस तरह की ज़ब्ती निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई थी।

उक्त शेयर मूल धारकों यानी मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स की ओर से लाभार्थियों के रूप में सांवलका समूह के पास थे। चूंकि गुप्ता बंधुओं द्वारा रखे गए शेयरों का आंशिक भुगतान किया गया था, इसलिए लाभार्थी धारकों के रूप में सांवलका समूह कंपनी द्वारा किए जा रहे आह्वान पर उक्त शेयरों के अवैतनिक मूल्य के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। गुप्ता समूह के अनुसार, इस तरह का कॉल 05.01.1991 पर किया गया था जिसका जवाब नहीं दिया गया। नतीजतन, उपरोक्त शेयरों को जब्त कर लिया गया। गुप्ता समूह द्वारा इस आशय का एक वैकल्पिक तर्क दिया गया था कि किसी भी स्थिति में सांवलका समूह आंशिक रूप से भुगतान किए

गए शेयरों का धारक था और उन्होंने 5.1.1991 दिनांकित कॉल नोटिस का जवाब नहीं दिया था, कंपनी की याचिका अधिनियम की धारा 399 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं थी।

7. सांवलका समूह का यह दावा कि बोनस शेयर जारी करने को अधिकृत नहीं किया गया था क्योंकि इसे फिर से जारी नहीं किया जा सकता था, गुप्ता समूह द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के विशिष्ट संदर्भ द्वारा पुनर्मूल्यांकन आरक्षित का विरोध किया गया था, जिसका विवरण बाद में देखा जाएगा। यह दावा किया गया था कि दिनांक 5.7.1994 की बोर्ड बैठक में 4132 आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के बदले बोनस शेयरों के आनुपातिक आवंटन की पेशकश की गई थी, जिसमें सांवलका समूह ने लाभकारी ब्याज रखा था, जो दिनांक 5.1.1991 की अवधि में उक्त शेयरों के खिलाफ बकाया के भुगतान के अधीन था। जहां तक 25,000 साधारण शेयरों के निर्गम का संबंध है, गुप्ता समूह द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उक्त शेयर कंपनी में बुरी तरह से आवश्यक पूंजी डालने के लिए जारी किए गए थे। कंपनी के मामलों में सांवलका समूह की स्पष्ट और व्यक्त उदासीनता को देखते हुए उनकी लंबी खामोशी और दिनांक 5.1.1991 के कॉल नोटिस का जवाब देने में विफलता और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने में विफलता के कारण, गुप्ता समूह द्वारा यह समझा गया कि वे नई जारी की गई शेयर पूंजी के किसी भी हिस्से यानी 25,000 शेयरों के आवंटन में रुचि नहीं रखेंगे। किसी भी मामले में, गुप्ता समूह के अनुसार, जब तक 25,000 शेयर जारी/आवंटित (फरवरी, 1996) किए गए थे, तब तक सांवलका समूह के सदस्य कंपनी (1995) के सदस्य नहीं रह गए थे, इसलिए वे उक्त नए जारी किए गए शेयरों में से किसी के भी आवंटन के हकदार नहीं थे।

8. जहां तक औद्योगिक भूखंड के संबंध में पट्टा का संबंध है, गुप्ता समूह की ओर से यह आग्रह किया गया था कि पट्टाधारियों द्वारा भूमि पर निर्माण करने के

लिए उपलब्ध कराए गए धन को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था, जो पट्टा को पूर्व-खाली करने के लिए आवश्यक था। इसलिए कंपनी के कार्यों को कंपनी के हित में होने का दावा किया गया था।

9. कंपनी विधि बोर्ड (सी. एल. बी.) ने दिनांक 1.3.2001 के एक विस्तृत आदेश द्वारा गुप्ता समूह द्वारा याचिका की रखरखाव क्षमता पर उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। सी. एल. बी. ने निष्कर्ष निकाला कि सांवलका समूह के सदस्यों द्वारा रखे गए शेयर अपने आप में मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स के किसी भी अधिकार से स्वतंत्र थे, जो उक्त गुप्ता ब्रदर्स द्वारा रखे गए शेयरों को जब्त करने पर समाप्त हो गए थे। सी. एल. बी. ने आगे कहा कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 18 के तहत, यह मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हैं जो कथित जब्त किए गए शेयरों पर बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। बोर्ड ने यह भी पाया कि सांवलका समूह के सदस्यों ने 45 रुपये प्रति शेयर का भुगतान किया था और हालांकि कॉल किए जाने पर शेष राशि का भुगतान करने की बाध्यता थी, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से यह खुलासा नहीं हुआ कि ऐसा कोई भी कॉल किसी भी समय किया गया था। इस संबंध में सी. एल. बी. द्वारा दिनांकित 5.1.1991 का नोटिस अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिवत जारी नहीं किया गया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त सूचना 5 तारीख की है। 1.1991 ने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खंड 14 के तहत आवश्यक कॉल मनी का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में शेयरों को जब्त करने पर विचार नहीं किया। उक्त निष्कर्षों के आधार पर गुप्ता समूह द्वारा कंपनी की याचिका की स्थिरता पर उठाई गई दोहरी आपत्तियां उनके खिलाफ रखी गईं।

10. सी. एल. बी. ने अपने दिनांक 01.03.2001 के आदेश में आगे कहा कि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के खिलाफ बोनस शेयर जारी करना 1956 के अधिनियम के

तालिका ए के अनुच्छेद 96 के प्रावधानों के विपरीत था। जहाँ तक 25,000 साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम का संबंध है, सी. एल. बी. ने गुप्ता समूह के पक्ष में निर्गम का निर्णय लिया। हालाँकि, चूंकि सांवलका समूह के सदस्य कंपनी के सदस्य बने रहे, इसलिए यह माना गया कि उक्त इक्विटी शेयरों का आनुपातिक आवंटन उन्हें भी किया जाना चाहिए था। बोर्ड से सांवलका समूह के दो प्रतिनिधियों को हटाने को भी उपरोक्त आधार पर गलत माना गया। बोर्ड का यह निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा कि ई. ओ. जी. एम. का नोटिस, जिसमें कंपनी की शेयर पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, सांवलका समूह को नहीं दिया गया था, हालांकि वे इस तरह के नोटिस के हकदार थे। जहां तक वरीयता शेयरों के विरुद्ध 3065 साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम की शुद्धता का संबंध है, कंपनी विधि बोर्ड ने महसूस किया कि उक्त प्रश्न में जाना अनुचित होगा क्योंकि उसी वरीयता शेयरों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक संबंधित मुद्दा लंबित था। वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे में यह सवाल शामिल था कि क्या उक्त शेयर बिल्कुल भी मौजूद थे या रूपांतरण की तारीख से पहले समाप्त हो गए थे। जहां तक औद्योगिक भूखंड के पट्टे का संबंध है, सी. एल. बी. ने महसूस किया कि सी. एल. बी. द्वारा आदेशित संशोधित शेयरधारिता के आधार पर होने वाली आम सभा की बैठक में कंपनी के उचित निर्णय के लिए इसे खुला छोड़ दिया जाना चाहिए।

11. कंपनी की याचिका की रखरखाव क्षमता, बोनस शेयर और 25,000 साधारण इक्विटी शेयर जारी करने और निदेशक मंडल में सांवलका समूह के सदस्यों को फिर से शामिल करने के संबंध में सी. एल. बी. के उपरोक्त आदेश से व्यथित गुप्ता समूह ने अधिनियम की धारा 10 एफ के तहत अपील दायर करके कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। जहां तक 3065 तरजीही शेयरों के मुद्दे और औद्योगिक भूखंड के संबंध में पट्टे के संबंध में बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए, सांवलका समूह

ने एक अलग अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश दिनांक 14.9.2005 द्वारा, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलों की स्थापना के लिए अग्रणी अपील के दोनों सेटों को खारिज कर दिया।

12. सी. एल. बी. और उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मुद्दों और पक्षों की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर दोनों अपीलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष सांवलका समूह द्वारा दायर कंपनी याचिका की रखरखाव क्षमता।

(ii) कंपनी द्वारा बोनस शेयर जारी करने की वैधता।

(iii) 25,000 नए साधारण शेयरों के निर्गम की वैधता;

(iv) निदेशक मंडल से सांवलका समूह के प्रतिनिधियों को हटाने और उनके स्थान पर गुप्ता समूह के सदस्यों को शामिल करने की वैधता;

(v) औद्योगिक भूखंड के संबंध में कंपनी द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते की वैधता;

(vi) तरजीही शेयरों के मुकाबले 3065 साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम की वैधता।

13. हमने सुना है कि श्री अरविंद पी. दातार ने गुप्ता समूह की ओर से और श्री सी. ए. सुंदरम ने सांवलका समूह की ओर से वरिष्ठ वकील के रूप में काम किया है।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर अब विचार किया जा सकता है।

कंपनी याचिका की रखरखाव क्षमता

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए बहुत विस्तृत और प्रेरक तर्कों के बावजूद, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स के हाथों जब्त किए गए शेयरों के आवंटन के बाद सांवलका समूह के

सदस्यों को जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्रों को बारीकी से देखने से उपरोक्त प्रश्न का समाधान संभव है। विचाराधीन कुछ शेयर प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में हैं। इसके एक पठन से पता चलता है कि इसमें निर्दिष्ट उनकी विशिष्ट संख्या के संदर्भ में शेयरों का एक नया और स्वतंत्र आवंटन होता है। प्रमाणपत्रों में कोई शर्त या शर्त नहीं है कि वे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लाभार्थियों के रूप में रखे जा रहे हैं। विचाराधीन शेयर 35 रुपये के भुगतान पर आवंटित किए गए थे जो आवेदन राशि (Rs.25) और आवंटन राशि (रु10)। 7.8.1986 पर की गई पहली कॉल के बदले प्रति शेयर 10 रुपये की और राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, शेयर प्रमाण पत्र, प्रत्यक्ष रूप से, गुप्ता समूह की ओर से दिए गए किसी भी तर्क का समर्थन नहीं करते हैं, जिसका विवरण यहाँ ऊपर देखा गया है। यदि मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स द्वारा रखे गए पूर्ववर्ती/जब्त किए गए शेयरों से किसी भी संबंध के बिना सांवलका समूह के सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के अधिकार में शेयर रखे गए थे, तो दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है अर्थात् दिनांकित 5.1.1991 कॉल नोटिस का जवाब देने में विफलता वास्तव में डॉक्स उत्पन्न नहीं होती है। जो भी हो, उक्त सूचना में सांवलका समूह के सदस्यों से जब्त किए गए शेयरों के अवैतनिक मूल्य (जो संयोग से Rs.55 भी था-प्रति शेयर यानी मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स द्वारा जब्त किए जाने के समय शेयरों की अवैतनिक राशि के बराबर) का ब्याज के साथ भुगतान करने की आवश्यकता थी। इस संबंध में सी. एल. बी. के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 53 के संदर्भ में कॉल का नोटिस जारी करना भी गुप्ता समूह द्वारा साबित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त नोटिस का पालन करने में कथित विफलता पर 5.1.1991 दिनांकित कॉल नोटिस और सांवलका समूह द्वारा रखे गए शेयरों की जब्ती, कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के खंड 14 से 18 के साथ असंगति प्रतीत नहीं होती है, जो नीचे दिए गए हैं:

"14. यदि कोई सदस्य उसके भुगतान के लिए निर्धारित दिन या उससे पहले किसी कॉल या किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो निदेशक उसके बाद किसी भी समय ऐसे समय के दौरान जब कॉल या किश्त या उसका कोई हिस्सा अवैतनिक रहता है, ऐसे सदस्य को एक नोटिस दे सकते हैं जिसमें उसे किसी भी ब्याज के साथ उसी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो अर्जित हुआ हो और सभी खर्च जो कंपनी ने किए हों। वे ऐसी किसी भी सूचना में यह भी लिख सकते हैं कि किसी विशेष तिथि से पहले देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में निदेशक शेयरों को जब्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

15. यदि राशि अभी भी भुगतान नहीं की जाती है तो निदेशक शेयरों को जब्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

16. जिस सदस्य के शेयर जब्त किए गए हैं, उन्हें ज़बती के समाधान की सूचना दी जाएगी।

17. इस प्रकार जब्त किए गए किसी भी शेयर को कंपनी की संपत्ति माना जाएगा और निदेशक इसे बेच सकते हैं, फिर से जब्त कर सकते हैं या अन्यथा इसका निपटान इस तरह से कर सकते हैं जो वे उचित समझते हैं।

18. ऐसा कोई भी सदस्य जिसके शेयरों को जब्त कर लिया गया है, इस तरह के ज़ब्त के बावजूद भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और ज़ब्त के समय से लेकर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष के भुगतान तक, ऐसे शेयरों पर या उनके संबंध में देय सभी कॉल किश्तों, ब्याज और खर्चों का भुगतान कंपनी को तुरंत ब्याज के साथ करेगा और निदेशक ऐसे धन या उसके किसी भी हिस्से के भुगतान को लागू कर सकता है यदि वे स्याही से उपयुक्त हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं किसी भी दायित्व के तहत

नहीं हूँ। जिस सदस्य के शेयर जब्त कर लिए गए हैं, वह ऐसे शेयरों की बिक्री आय का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

15. अधिनियम की धारा 53 के तहत आवश्यक मामले में न केवल 5.1.1991 दिनांकित कॉल नोटिस जारी किया गया था, बल्कि नोटिस में भुगतान न करने के परिणामों यानी ज़बती का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जब्त किए गए शेयरों की अवैतनिक राशि का ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए सांवलका समूह पर दायित्व का निर्धारण ऊपर निकाले गए संघ के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरीत है। इसके अलावा, ज़ब्त करने की तारीख भी स्पष्ट नहीं है, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि 2.8.1995 पर आयोजित बोर्ड की बैठक में उक्त शेयरों को मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय का कारण दीवानी न्यायालय द्वारा पहले पारित शेयरों की कुर्की के आदेश का पालन करना प्रतीत होता है। ये सभी अब किए गए दावे के स्पष्ट झूठ को प्रदर्शित करेंगे कि ज़बती सांवलका समूह द्वारा दिनांकित 5.1.1991 कॉल नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण हुई थी।

16. उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए, गुप्ता समूह की ओर से एक तर्क दिया गया है कि भले ही दिनांकित 5.1.1991 कॉल नोटिस पर भरोसा नहीं किया जाना है, लेकिन दिनांकित 31.3.1992 बैलेंस शीट में देय राशि को कॉल-इन-अरेरार के रूप में दिखाया गया है। उक्त दस्तावेज़ को विधिवत प्रसारित किया गया था। इसलिए, सांवलका समूह को पूरी जानकारी थी कि अवैतनिक कॉल का पैसा बकाया है।

17. इस तथ्य के अलावा कि दिनांक 5.1.1991 के कॉल नोटिस और दिनांक 31.3.1992 की बैलेंस शीट में उल्लिखित रकम के बीच कोई सह-संबंध नहीं है, सनवालका समूह के सदस्यों को 1. 7.1991 को निदेशक मंडल से हटा दिया गया था।

यह दिनांक 31.3.1992 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने से पहले है। किसी भी मामले में, कॉल नोटिस का जवाब देने में विफलता के परिणामस्वरूप शेयरों को जब्त करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में विवरण में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। एक बैलेंस शीट कॉल नोटिस के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती है और न ही कर सकती है।

18. यदि कंपनी की याचिका की स्थिरता के प्राथमिक प्रश्न का उत्तर सांवलका समूह के पक्ष में दिया जाना है, जैसा कि हम इच्छुक हैं, तो इस आदेश के पहले भाग में उजागर किए गए अन्य मुद्दों पर अब विचार करना होगा।

25, 000 साधारण इक्विटी शेयरों का निर्गम -

19. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ई.ओ.जी.एम. का नोटिस दिनांक 5.7.1994 को सांवलका समूह के सदस्यों को नहीं दिया गया था, हालांकि, माना जाता है कि वे बैठक की तारीख तक कंपनी के सदस्य बने रहे। यह उक्त ई.ओ.जी.एम. में लिए गए निर्णय के अनुसार है। दिनांक 5. 7.1994 को कंपनी की शेयर पूंजी रुपये से बढ़ाने के लिए 10 लाख से रु. 5 करोड़ कि बोनस शेयरों के संबंध में अन्य निर्णय; 25,000 साधारण इक्विटी शेयर जारी किए गए और वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया। अधिनियम की धारा 41 के साथ पठित धारा 172(2) के तहत ऐसा नोटिस अनिवार्य है। यह, स्पष्टतः, अधिनियम के उक्त प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट है। इसलिए, इस संबंध में हमारे सामने रखे गए विस्तृत मामले के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी।

20. विशेष रूप से, जहां तक बोनस शेयरों के मुद्दे का संबंध है, हमारे समक्ष रखे गए तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या अधिनियम की धारा 205 (3), विशेष रूप से, इसके लिए प्रावधान किसी कंपनी के पुनर्मूल्यांकन भंडार से बोनस

शेयर जारी करने की अनुमति देता है। आगे जो प्रश्न उठेगा वह अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों में निहित प्रावधानों के बीच सही परस्पर क्रिया है। जहां तक पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न भंडार के उपयोग के संबंध में मुद्दा है, इसे भगवती डेवलपर्स बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी और अन्य में अनुमेय माना गया है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भगवती डेवलपर्स (उपरोक्त) में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (अनुच्छेद 182) ने विशेष रूप से इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी/विचार किया। वर्तमान मामले में, कंपनी के संगठन के अनुच्छेद निदेशकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं देते हैं। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से बोनस शेयर जारी करने की ऐसी कोई स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। जब कंपनी के अनुच्छेद बोर्ड को इस आधार पर ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करते हैं कि अधिनियम इस प्रकार प्रदान करता है तो यह अनुज्ञेय नहीं होगा। अधिनियम के तहत प्रावधानों को सक्षम करने के लिए कंपनी के अनुच्छेदों में शामिल करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त प्रभाव के लिए क्लॉड-लीला पारुलेकर (श्रीमती) के पैरा 25 में इस न्यायालय का दृष्टिकोण। बनाम सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड और अन्य प्रासंगिक हैं -

"25. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 36 कंपनी के जापन और लेखों को, जब पंजीकृत किया जाता है, न केवल कंपनी पर बल्कि सदस्यों पर भी उसी हद तक बाध्यकारी बनाती है जैसे कि उन पर कंपनी और प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और कंपनी और प्रत्येक शेयरधारक द्वारा जापन और वस्तुओं के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए करार किया गया था। एसोसिएशन के लेख न केवल शेयरधारकों और कंपनी के बीच बल्कि व्यक्तिगत शेयरधारकों के बीच भी एक अनुबंध का गठन करते हैं। लेख निदेशकों की शक्तियों का एक स्रोत हैं जो परिणामस्वरूप केवल उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उनके अनुसार लेखों द्वारा प्रदत्त हैं।

अनुच्छेदों के लिए संदर्भित और इसके विपरीत कोई भी कार्रवाई अधिकार से बाहर होगी। "

21. इसके अलावा, बोर्ड का संकल्प दिनांक 5.7.1994 का था। जिसके अनुसार बोनस शेयर जारी किए गए थे, यह इंगित करता है कि बोनस शेयर जारी करने का वास्तविक उद्देश्य धन जुटाना है जिसकी उस समय कंपनी को बहुत आवश्यकता थी। इसके विपरीत, प्रस्ताव में इंगित उद्देश्य एक ढोंग और ढोंग है क्योंकि कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ बोनस शेयर जारी करने से कोई अतिरिक्त धन उत्पन्न नहीं हो सका और न ही हुआ क्योंकि उपलब्ध अतिरिक्त पूंजी विशुद्ध रूप से काल्पनिक या काल्पनिक है। इसलिए बोनस शेयर जारी करने में गुप्ता समूह (जिसने जारी किए गए सभी बोनस शेयर प्राप्त किए) का स्व-सेवारत हित स्पष्ट है।

22. जहाँ तक 25,000 इक्विटी शेयरों के निर्गम का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उक्त शेयरों को जारी करने के बोर्ड के निर्णय का परीक्षण ऐसे मामलों में कार्य करने के लिए बोर्ड की व्यापक शक्तियों के आलोक में किया जाना चाहिए जो इस न्यायालय द्वारा नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम नीडल इंडस्ट्रीज न्यूयर (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और अन्य में निर्धारित किए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की नए शेयर जारी करने की शक्ति को हमेशा अधिनियम के तहत इसकी व्यापक शक्तियों के एक सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए और इस तरह की कवायद की प्रामाणिकता पर नए शेयर जारी करने की शक्ति को किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य से सीमित करके सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कंपनी लॉ बोर्ड का भी यही दृष्टिकोण था। हालाँकि, यह ऐसे नए शेयरों का उचित और आनुपातिक वितरण/आवंटन करने में निदेशक मंडल से अपेक्षित निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत से अलग नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के उस निर्देश को बरकरार

रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त 25,000 नए जारी किए गए साधारण इक्विटी शेयरों का आवंटन दोनों समूहों की हिस्सेदारी के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि सांवलका समूह के सदस्य कंपनी के सदस्य बने रहेंगे, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

23. जहां तक 3065 तरजीही शेयरों के बदले में 3065 साधारण इक्विटी शेयरों के निर्गम का संबंध है, सी. एल. बी. और उच्च न्यायालय ने सांवलका समूह द्वारा दायर मुकदमे को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उचित निर्धारण के लिए मामले को छोड़ना उचित समझा था, जिसमें तर्क दिया गया था कि उक्त शेयरों का अस्तित्व वर्ष 1967 में समाप्त हो गया था और इसलिए उक्त वरीयता शेयरों के बदले में कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किया जा सकता था जैसा कि किया गया है। विचाराधीन मुकदमा जो वर्ष 1996 का है, उसके समाधान में कुछ और समय लग सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, सांवलका समूह की आशंका यह है कि यदि उक्त तरजीही शेयरों के खिलाफ जारी किए गए इक्विटी शेयरों को जीवित और वैध रहने दिया जाता है तो शेष राशि अभी भी गुप्ता समूह के पक्ष में झुक जाएगी।

24. यह ज्ञात नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय से पक्षों द्वारा एक अंतरिम व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था और यदि ऐसा है तो उसका परिणाम। हालाँकि, हमारे सामने, गुप्ता समूह ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि सांवलका समूह की उपरोक्त आशंका निराधार है। यह दावा किया जाता है कि यह सही नहीं है कि 3065 तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने के कारण गुप्ता समूह पहली बार बहुमत में उभरा है। इस तरह के धर्मांतरण से पहले भी, गुप्ता समूह बहुमत में था क्योंकि वरीयता शेयरों में हमेशा मतदान का अधिकार होता था। इसलिए मूल हिस्सेदारी के आधार पर भी गुप्ता समूह बहुमत में था।

25. हम अधिनियम की धारा 87 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गुप्ता समूह की ओर से दिए गए उपरोक्त निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2) जो निम्नलिखित शर्तों में है।

"(2) (क) उपरोक्त विषय के अधीन रहते हुए और इस उप-धारा के खंड (ख) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, शेयरों द्वारा सीमित और उसमें कोई वरीयता शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, ऐसी पूंजी के संबंध में, केवल उन प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार होगा जो कंपनी के समक्ष रखे गए हैं जो सीधे उसके वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

व्याख्या: कंपनी का समर्थन करने या उसकी शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान या कमी के लिए किसी भी प्रस्ताव को इस खंड के अर्थ के भीतर वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाला माना जाएगा।

(ख) उपरोक्त विषय के अधीन, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का प्रत्येक सदस्य और उसमें कोई वरीयता शेयर पूंजी रखने वाला, ऐसी पूंजी के संबंध में, किसी भी बैठक में कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार होगा, यदि ऐसी पूंजी या ऐसे लाभांश के किसी भाग पर देय लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है:

(i) संचयी वरीयता शेयरों के मामले में, बैठक शुरू होने की तारीख से पहले दो साल से कम की कुल अवधि के संबंध में; और

(ii) गैर-संचयी वरीयता शेयरों के मामले में, या तो बैठक शुरू होने से तुरंत पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले दो साल से कम की अवधि के संबंध में या उपरोक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले छह वर्षों में शामिल तीन साल से कम की कुल अवधि के संबंध में।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, लाभांश किसी भी अवधि के संबंध में वरीयता शेयरों पर देय माना जाएगा, चाहे कंपनी द्वारा ऐसी अवधि के लिए ऐसे शेयरों पर लाभांश घोषित किया गया हो या नहीं,

(क) ऐसी अवधि के लिए ऐसे लाभांश के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम दिन पर, उस ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित वस्तुओं या अन्य लिखत में; या

(ख) यदि कोई दिन इस तरह निर्दिष्ट नहीं है, तो उस अवधि के तुरंत बाद के दिन।

(ग) जहां किसी वरीयता शेयर के धारक को इस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है, वहां ऐसे शेयर के धारक के रूप में मतदान पर उसका मतदान अधिकार, धारा 89 और धारा 92 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसी अनुपात में होगा जो वरीयता शेयर के संबंध में चुकाई गई पूंजी कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के बराबर है।

26. उपरोक्त धारा 87 (2) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उन स्थितियों को छोड़कर जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, वरीयता शेयरों के धारकों को उन मामलों को छोड़कर मतदान करने का अधिकार नहीं है जो वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं।

27. रिलायंस को गुप्ता समूह द्वारा रखे गए तरजीही शेयरों के खिलाफ मतदान के अधिकार का दावा करने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 20,21 और 22 पर रखा गया है। अतः उक्त अनुच्छेदों पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

"20. लाभांश, मतदान अधिकार और मोचन के संबंध में इन शेयरों से निम्नलिखित अधिकार जुड़े हुए हैं -

(क) वरीयता शेयरों में साधारण या किसी अन्य वर्ग के शेयरों की तुलना में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आय-कर से मुक्त एक निश्चित संचयी लाभांश होगा।

(ख) अधिमान्य शेयर आवंटन की तारीख से 5 या 10 वर्ष की अवधि के बाद किसी भी समय कंपनी के निदेशकों के विकल्प पर या उसके धारक के विकल्प पर भुनाने योग्य होंगे, बशर्ते कंपनी द्वारा उसके धारकों को तीन महीने का लिखित नोटिस दिया जाए या इसके विपरीत जैसा भी मामला हो, ।

(ग) वरीयता शेयरों पर कर मुक्त 6 प्रतिशत के संचयी लाभांश के भुगतान के बाद, शुद्ध विभाज्य लाभ की शेष राशि (जैसा कि निदेशकों द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है) का उपयोग सामान्य शेयरों पर 9 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(घ) संचित लाभांश या वरीयता शेयरों और सामान्य शेयरों पर लाभांश के भुगतान के बाद निदेशक द्वारा अनुशंसित कोई भी शुद्ध विभाज्य लाभ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कंपनी में चुकता पूंजी के आधार पर वरीयता और सामान्य शेयरों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(ङ) वरीयता शेयरों को किसी भी वर्ग के शेयरों की तुलना में कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए भी प्राथमिकता होगी।

21. हाथ दिखाने पर उपस्थित प्रत्येक शेयरधारक के पास एक वोट होगा और मतदान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रत्येक शेयरधारक या किसी भी प्रतिनिधि के पास उसके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। कानून के अनुसार चुनाव की मांग की जा सकती है।

22. किसी भी शेयर का धारक हाथ दिखाकर या मतदान में वोट देने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि कंपनी को इन शेयरों के संबंध में उस धारक से देय सभी राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। "

28. उपरोक्त अनुच्छेदों को अनिवार्य रूप से धारा 87 के प्रावधानों के आलोक में समझना होगा, विशेष रूप से वे जो उप-धारा (2) में निहित हैं। ऊपर निकाले गए अनुच्छेद 20,21 और 22 का अर्थ यह दिया जाना चाहिए कि वरीयता शेयर धारक सहित प्रत्येक शेयर धारक को मतदान का अधिकार है, जिसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तरजीही शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने से संबंधित बोर्ड का संकल्प इस आधार पर है कि 3065 शेयरों के संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है और इसके बदले में शेयरधारक समतुल्य संख्या में इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं। तथ्य के उपरोक्त कथन को स्वीकार करना मुश्किल है। न तो वह अवधि निर्दिष्ट की गई है जिसके दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था, न ही देय राशि का संकेत दिया गया है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि 3065 इक्विटी शेयर अवैतनिक होने का दावा किए गए लाभांश के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि विचाराधीन तरजीही शेयर गुप्ता समूह के पास थे जो उस समय कंपनी के नियंत्रण में थे। गुप्ता समूह द्वारा लिए गए कई स्व-सेवारत निर्णय और कंपनी के हित के लिए हानिकारक तरीके से कंपनी के व्यवसाय का संचालन, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, बोर्ड के प्रस्ताव में उपलब्ध संस्करण पर भरोसा करना बेहद खतरनाक बना देगा। उपरोक्त परिस्थितियों में 3065 वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना और वरीयता शेयरों को कानून के अनुसार भविष्य में निपटाने के लिए अपनी पिछली स्थिति में वापस करना उचित और उचित होगा। यह, निश्चित रूप से, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील में उसके आदेशों के अधीन है।

औद्योगिक भूखंड का पट्टा

29. यदि नीचे दिए गए मंचों ने कंपनी की एक अतिरिक्त सामान्य आम बैठक में उपरोक्त मामले को उचित निर्धारण के लिए छोड़ दिया है, तो ऊपर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हम मामले के उक्त पहलू से आगे निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

30. अलग होने से पहले, पक्षों की ओर से उठाए गए कुछ सहायक मुद्दों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है यदि केवल चर्चा को पूरा करने के लिए।

उच्च न्यायालय की अपील की सुनवाई के लिए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने में विफलता शायद ही पारित आदेश को अमान्य कर सकती है। उच्च न्यायालय का आदेश पुष्टि का आदेश है; इसके अलावा अधिनियम की धारा 10 एफ में कोई प्रावधान नहीं है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 (4) में निहित प्रावधानों के समान है।

31. यह तर्क कि कंपनी के मामलों के प्रबंधन में गुप्ता समूह के आचरण और कंपनी के सर्वोत्तम हित में लिए गए सभी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सी. एल. बी. द्वारा अधिनियम की धारा 397/398 के तहत शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए बंद करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है, इस संबंध में उच्च न्यायालय के विशिष्ट निष्कर्षों को देखते हुए शायद ही विस्तृत विचार की आवश्यकता होगी, जो गुप्ता समूह के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं। उक्त दृष्टिकोण और प्राप्त निष्कर्षों को हमारी स्वीकृति है, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने चुनौती के तहत आदेश में इस बात को ध्यान में रखा है कि विचाराधीन औद्योगिक भूखंड के अलावा कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं है और उक्त संपत्ति के

संबंध में गुप्ता समूह द्वारा किए गए पट्टे की शर्तें कंपनी के हित के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल हैं।

32. यह प्रश्न कि क्या उत्पीड़न का एक भी कार्य सी. एल. बी. को हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा या उत्पीड़न निरंतर कार्यों का संचयी परिणाम होना चाहिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में किसी भी बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो गुप्ता समूह की ओर से अस्वीकार्य निर्णयों और कार्यों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। अंतिम उपाय में, प्रत्येक मामले के तथ्यों में इस बात का संतोष होना चाहिए कि उत्पीड़न किया गया है।

33. उपरोक्त चर्चाओं और उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, गुप्ता समूह द्वारा दायर 2010 की सिविल अपील को खारिज कर दिया जाता है, जबकि सांवलका समूह द्वारा दायर 2010 की सिविल अपील को वर्तमान आदेश में निहित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

अपीले निस्तारित की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।